न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 225 RTA 2018-068 (GCMS 2018-00074)

रामस्वरूप पुत्र पोकरराम जाति माली
निवासी पूंजला, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. लूणसिंह पुत्र पुसाराम जाति माली,
   निवासी सिद्धीदात्री कृषि फार्म, आर.टी.ओ. कार्यालय,
   सेण्ट्रेल एकेडमी रोड, डिगाडी,
   तहसील व जिला जोधपुर
2. पृथ्वीसिंह पुत्र पुसाराम जाति माली,
   निवासी बेरा मंदिरवाला पूंजला,
   तहसील व जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार,
   जरिये तहसीलदार जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 13 अक्तूबर 2016 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 67/2016 अनवान लूणसिंह बनाम पृथ्वीसिंह

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री बुद्धाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 31 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 67/2016 अनवान लूणसिंह बनाम पृथ्वीसिंह में पारित आदेश दिनांक 13 अक्तूबर 2016 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 अप्रेल 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपीलाण्ट की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने बाबत तथा एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण से संबंधित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. लूणसिंह ने ग्राम पूंजला स्थित आराजी खसरा संख्या 258 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 236 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 237 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में एक दावा बाबत बंटवाडा एवं स्थायी अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया और साथ ही एक प्रार्थनापत्र पेश कर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अक्तूबर 2016 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजियात का सहखातेदार है, तथा अन्य सहखातेदारान भी है। मौके पर वादग्रस्त आराजियात को रहवासीय भूखण्डों में विभक्त किया जाकर कई व्यक्तियों को बेचान कर दिया गया है, जिनमें से कई खरीददारान द्वारा मौके पर रहवासीय मकान निर्मित किये जाकर निवास करना भी आरम्भ कर दिया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र अपीलाण्ट व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अन्य रिकार्डेड सहखातेदारान को पक्षकार कायम किये बिना ही प्रस्तुत किया गया है जिसमे सम्पूर्ण भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन ही नहीं किया गया था। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजियात का सहखातेदार होने से मामले में हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरुपेण प्रभावित पक्षकार है, अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे। चूंकि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट को पक्षकार कायम नहीं किया गया, इस कारण मूल वाद एवं प्रार्थनापत्र की कार्यवाही तथा अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी, दिनांक 09 अप्रेल 2018 को रेस्पो. एक ने अपीलाण्ट के घर आकर निर्माणाधीन मकान का काम स्थगन आदेश का हवाला देकर रुकवा दिया, तब अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर विचारण न्यायालय से अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की और बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पूर्व में अपील संख्या 134/2016 पृथ्वीसिंह बनाम लूणसिंह इत्यादि प्रस्तुत हुई, जो दिनांक 21 दिसम्बर 2016 को खारिज की जा चुकी है। अदालत हाजा के उक्त निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचाराधीन चल रही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में प्रस्तुत आलौच्य अपील चलने योग्य नहीं है। जो तदनुसार खारिज की जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो ने अधिवक्ता-अपीलाण्ट की बहस का समर्थन किया और अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहॉ तक अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं द्वितीय प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम का प्रश्न है, चूंकि जमाबंदी संवत 2058-2061 ग्राम पूंजला के अवलोकन से मु. धापु द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर फौतेदगी म्युटेशन के जरिये खसरा संख्या 258 बाबत भारतसिंह हुकमसिंह नेमीचंद रामस्वरूप पिसरान पोकरराम का नाम दर्ज होना प्रकट होता है, अतः वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध होने से अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार मानते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट को पक्षकार कायम नहीं किये जाने और अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व उसे किसी प्रकार से सूचित नहीं किये जाने के कारण विचारण न्यायालय की कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट को जानकारी नहीं हो पाना स्वभाविक है। अतः इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम व उसके साथ प्रस्तुत शपथपत्र में वर्णित तथ्यों एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट की इस निमित्त की गयी बहस पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गुणावगुण के संबंध में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पूर्व में अपील संख्या 134/2016 पृथ्वीसिंह बनाम लूणसिंह इत्यादि प्रस्तुत हुई, जो दिनांक 21 दिसम्बर 2016 को खारिज की जा चुकी है। अदालत हाजा के उक्त निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी विचाराधीन होने के तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश के खिलाफ प्रस्तुत आलौच्य अपील के जरिये अपीलाण्ट को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि होने से उसके प्रत्येक इंच भूभाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कानूनन कब्जा होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक तनाव एवं वादकरण की रोकथाम के दृष्टिकोण से वादग्रस्त आराजियात बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर